अति–आवश्यक

राजस्थान सरकार
निदेशालय कालेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

क्रमांक : एफ23(45)लेखा / निकाशि / मुछाउशियो / 12 / 24 दिनांक : 24-12-12

समस्त नोडल अधिकारी / प्राचार्य
राजकीय / निजी एवं तकनीकी महाविद्यालय
राजस्थान

विषय :– मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना 2012 में आवेदन–पत्र बाबत ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2012–13 के बजट में मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति की वरीयता के आधार पर 1.00 लाख विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति की घोषणा की गई थी । जिसके परिपेक्ष्य में निदेशालय द्वारा विभिन्न विज्ञप्तियों से प्रचार प्रसार करने के उपरान्त भी अपेक्षित संख्या में आवेदन–पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं ।

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर द्वारा उपलब्ध सूचना अनुसार विज्ञान वर्ग में 305 प्राप्तांक **(61 प्रतिशत)**, वाणिज्य वर्ग में प्राप्तांक 316 **(63.20 प्रतिशत)** एवं कला वर्ग में प्राप्तांक 317 **(63.40 प्रतिशत)** को उक्त छात्रवृत्ति देय है तथा राज्य सरकार द्वारा आवेदन करने वाले विद्यार्थियों के माता–पिता / अभिभावक की वार्षिक आय सीमा 1.00 लाख रूपये के स्थान पर 2.50 लाख रूपये कर दी गई है एवं आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 28 फरवरी, 2013 तक बढा दी गई है । आपके महाविद्यालय में उक्त प्रतिशत वाले कितने विद्यार्थी अध्ययनरत है तथा कितनों के द्वारा छात्रवृत्ति आवेदन किया गया है, पूर्णतया ज्ञात कर शेष रहे विद्यार्थियों हेतु अपने स्तर पर प्रचार–प्रसार कर छात्रवृत्ति आवेदन – पत्र भरवायें ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को योजना का लाभ मिल सके । समस्त नोडल अधिकारी योजना में प्राप्त छात्रवृति आवेदन पत्रों की सूचना प्रत्येक शुक्रवार को सांय 5.00 बजे तक निदेशालय कालेज शिक्षा राजस्थान जयपुर को फैक्स नं0 0141–2706289 अथवा मेल –jdplan.cce@rajasthan.gov.in पर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें ।

इसे प्राथमिकता देवें । इस बाबत किसी प्रकार की कोताही अथवा लापरवाही न बरतें । सूचित हों ।

(नवीन जैन)
निदेशक

क्रमांक : एफ23(45)लेखा / निकाशि / मुछाउशियो / 12 / दिनांक :

प्रतिलिपि श्री धीरेन्द्र देवर्षि, विभागीय वेबसाईट प्रभारी को अपलोड हेतु ।